[1][Rule 44A : Manner of reversal of credit of Additional duty of Customs in respect of Gold dore bar

The credit of Central tax in the electronic credit ledger taken in terms of the provisions of section 140 relating to the CENVAT Credit carried forward which had accrued on account of payment of the additional duty of customs levied under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), paid at the time of importation of gold dore bar, on the stock of gold dore bar held on the 1st day of July, 2017 or contained in gold or gold jewellery held in stock on the 1st day of July, 2017 made out of such imported gold dore bar, shall be restricted to one-sixth of such credit and five-sixth of such credit shall be debited from the electronic credit ledger at the time of supply of such gold dore bar or the gold or the gold jewellery made therefrom and where such supply has already been made, such debit shall be within one week from the date of commencement of these Rules.]

---

1 Rule 44A inserted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 17-08-2017.

[1][नियम 44क : स्वर्ण डोरे बार की बाबत् सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के प्रत्यय को उलटने की रीति

अग्रनीत सेनवेट प्रत्यय से सम्बन्धित धारा 140 के उपबंधों के निबंधनानुसार लिए गए इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में केन्द्रीय कर का प्रत्यय जो, सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के संदाय के कारण प्रोद्भूत हुआ था, जिसका संदाय 1 जुलाई, 2017 को धारित स्वर्ण डोरे बार के स्टॉक पर या ऐसे आयातित स्वर्ण डोरे बार बनाए गए स्वर्ण या स्वर्ण आभूषण 1 जुलाई, 2017 को स्टॉक में थे, में अन्तर्विष्ट स्वर्ण डोरे बार के आयात के समय किया गया था, ऐसे प्रत्यय का एक बटा छह तक निर्बधित किया जाएगा और ऐसे प्रत्यय का पांच बटा छह ऐसे स्वर्ण डोरे बार या स्वर्ण या उससे बनाए गए स्वर्ण आभूषण के प्रदाय के समय इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से विकलित किया जाएगा और जहां ऐसा प्रदाय पहले से ही किया गया है, वहां ऐसा विकलन इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से एक सप्ताह के भीतर होगा।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 22/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा नियम 44क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)।